न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 214 / 2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामस्वरूप पुत्र स्व. जोगाराम 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. जोगाराम निवासी– दिलीप नगर, लालसागर, जोधपुर। 3. चन्द्रशेखर पुत्र स्व. जोगाराम 4. दामोदर पुत्र स्व. जोगाराम 5. निर्मला पुत्री स्व. जोगाराम निवासी– गोपी का बेरा, मण्डोर, जोधपुर। 6. शारदा पुत्री स्व. जोगाराम पत्नी सन्तु जी उर्फ सत्यनारायण माली निवासी– बिजवाडिया, तहसील तिवरी, जोधपुर।		1. देवेन्द्र पुत्र स्व. खेताराम 2. कुलदीप पुत्र स्व. खेताराम 3. पदमादेवी उर्फ सुगना बेवा स्व. खेताराम जातियान मालीयान निवासी– बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.05.2019 जो राजस्व अपील संख्या 02 / 2019 अनवान देवेन्द्र वगैराह बनाम रामस्वरूप वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के ख0सं0 22 रकबा 13.09 बीघा, ख0सं0 172 / 1 रकबा 35.09 बीघा कालूराम पुत्र खूमाराम माली के बंट में बंटवाडा आदेश के जरिये प्राप्त होने पर नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात कालूराम पुत्र खुमाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 8 शान्ति बेवा कालूराम व रेस्पोडेन्ट के पिता खेताराम व माधोसिंह के नाम नामा0 संख्या 285 दिनांक 27.7.98 को ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त किया जावे परन्तु उपरोक्त खसरान भूमि का एक अन्य नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 से 6 यानि वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त किया जावें। उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.10.2019 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को निरस्त करते हुए मौजा खोखरिया के ख0सं0 22 व 172 / 1 में समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते

हुए यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील म्याद बाहर थी जो अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के लगभग 11 वर्ष पश्चात पेश की गई थी जो खारिज योग्य थी। उक्तप्रकरण में पक्षकारों के मध्य एक दावा पेश हुआ जो दिनांक 4.3.2011 को विड्रो किया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 401/11 कुलदीप वगैराह बनाम रामस्वरूप पेश हुआ जो दिनांक 27.4.2012 को खारिज हुआ तब से हीं रेस्पोडेन्टस को उक्त नामा0 स्वीकृत होने का ज्ञान था। रेस्पोडेन्टस ने झूठे कथनों के आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की और जानकारी रखते हुए भी अपील विलम्ब से पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने भी प्रथम अपील में म्याद बिन्दू को निर्णित किये बिना ही अपील निर्णित कर दी जबकि म्याद बिन्दू को पहले तय किया जाना था।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट का वाद खातेदारी घोषणा का खारिज हो चुके है। राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के वहॉ बाद सुनवाई खारिज हो चुका है। सक्षम न्यायालय से दावा खारिज होने के बाद रेस्पोडेन्टस ने प्रथम म्युटेशन अपील पेश की। म्युटेशन प्रोसिडिग्स फिराकल प्रोसिडिग्स है उसमें हक व अधिकार तय नही होते है। रेस्पोडेन्ट का दावा खातेदारी घोषणा खारिज हो चुका है। इस कारण म्युटेशन प्रोसिडिंग्स स्वतः खारिज हो चुका है। मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। म्युटेशन संख्या 761 दिनांक 6.7.08 को स्वीकृत किया तथा तुलछा के वारिशान अपीलाण्टगण व रेस्पोडेन्ट के नाम संयुक्त रूप से स्वीकृत किया गया क्योंकि उक्त सम्पूर्ण भूमि वक्त सेटलमेन्ट तुलछा पुत्र खुमा के नाम ही थी, उनकी मृत्योपरान्त एकमात्र वारिस उनका भाई कालूराम ही था क्यों कि तुलछाराम नाऔलाद फौत हो गया तथा कालूराम के रेस्पोडेन्टस व अपीलान्टस वारिसान है। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने में कोई त्रुटि नहीं हुई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कालूराम के वारिसान उनके दो पुत्र माधुराम व खेताराम व तीन पुत्रिया कमला, कस्तुरी व शीला है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उन सभी का बराबर हक व हिस्सा बनता है, इस कारण अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस बराबर के हक–हिस्सा रखते है। तहसीलदार जोधपुर के बंटवाडा आदेश दिनांक 18.1.2011 जो आपसी सहमति से बंटवाडा से हुआ तथा नामा0 संख्या 1753 दिनांक 19.1.2011 को स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवाडा में रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्टस की भूमि में संयुक्त सहखातेदारी मानते हुए ही बंटवाडा की सहमति दी। इसके सम्बन्ध में उज्र व एतराज करने से रेस्पोडेन्टस एस्ओपड है। उक्त बंटवाडा आदेश की कोई अपील रेस्पोडेन्टस ने नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 68 ग्राम पंचायत द्वारा गलत स्वीकृत किया गया क्योंकि उक्त नामा0 बंटवाडा का है तथा बंटवाडा संयुक्त खातेदारों क बीच ही होता है जबकि खसरान की भूमि में तुलछीराम पुत्र खुमाराम अकेला ही खातेदार था ऐसे में कानूनन बंटवाडा नहीं हो सकता जब तक कालूराम उक्त भूमि के खातेदारी घोषणा का दावा करके अपने हक–अधिकार तय नहीं करा देता। उक्त नामा0

के आधार पर कालूराम खातेदार नहीं माना जा सकता तथा अकेला तुलछाराम की खातेदारी मानते हुए ही नामा0 संख्या 761 सही स्वीकृत किया गया है। नामा0 संख्या 761 के आधार पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस को संयुक्त खातेदार मानते हुए आपसी सहमति से बंटवाडा हुआ था, उक्त आदेश को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो कानूनी बिन्दुओं के आधार पर खारिज होने योग्य थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जावे एवं नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2009 को यथावत रखा जावें। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेजात अवलोकनार्थ पेश किये गये तथा न्यायिक दृष्टान्त यथा आरआरडी 1995 पेज 99, आरआरडी 1984 पेज 487, आरआर टी पार्ट–I, 2023 पेज 415, आरआरटी पार्ट–I, 2017 पेज 745 इत्यादि पेश अवलोकनार्थ पेश किये गये।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोखरिया तहसील जोधपुर के ख0सं0 22 रकबा 13.09 बीघा, ख0सं0 172/1 रकबा 35.09 बीघाकालूराम पुत्र खूमाराम माली के बंट में बंटवाडा आदेश के जरिये प्राप्त होने पर नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात कालूराम पुत्र खुमाराम का देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 8 शान्ति बेवा कालूराम व रेस्पोडेन्ट के पिता खेताराम व माधोसिंह के नाम नामा0 संख्या 285 दिनांक 27.7.98 को ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त किया जावे परन्तु उपरोक्त खसरान भूमि का एक अन्य नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 से 6 यानि वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त किया जावें। उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.10.2019 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को निरस्त करते हुए मौजा खोखरिया के ख0सं0 22 व 172/1 में समस्त विधिक वारिसानों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये है जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है क्योंकि नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया और बिना सुने उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। स्व. कालूराम के वारिसान के हक में भरे नामा0 संख्या 285 के बारे में कोई गौर नहीं किया। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस स्व0 कालूराम व तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान से भूमि पर काबिज है। श्रीमती कमला देवी का देहान्त वर्ष 1997 में हो गया, जोगाराम का भी देहान्त हो चुका है। ग्राम पंचायत सुरपुरा ने बिना वारिसान की जॉच किये ही नामा0 स्वीकृत कर दिया था जो निरस्त होने योग्य

व उनका पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था, तत्पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विवेचन के उपरान्त ही अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने का आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा इस अपील में जो तथ्य दर्शाये गये है वो सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उल्लेखित किये गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 को यथावत नहीं रखने का विवेक अपनाते हुए ही उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 तुलछीयों बेटो खूमाराम का जब नामा0 संख्या 68 जरिये बंटवाडा हो चुका था जिसमें खसरा संख्या 22 व ख0सं0 172/1 की जमीन कालूराम पुत्र खूमाराम के बंट में अंतिम रूप से रख दी गई तो फिर दुबारा तुलछियों बेटो खुमाराम का नाम नामा0 संख्या 761 में नहीं आना चाहिये था, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर गलत इन्द्राज करवा दिया जो नामा0 स्वतः ही काबिले निरस्ती के है और इन सब आधारों पर ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.1.2011 के जरिये आपसी सहमति से बंटवाडा निष्पादित किया गया, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग खाते, खसरे व अन्य इन्द्राजात प्रविष्ट हुए। सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के राजस्व वाद संख्या 401/2011 में आदेश दिनांक 27.4.2012 के अनुसार "वर्तमान वाद में जो वादीगण है, उक्त दोनों वादीगण पूर्व वाद में भी वादीगण ही थे। पूर्व वाद में जरिये राजीनामा विड्रो करवा लिया था तथा सभी विवादित भूमि के सहखातेदारों ने आपसी राहमति से तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति से बंटवाडा इकरारनामा प्रस्तुत कर भूमि का विभाजन करवा कर अलग–अलग काबिज हो चुके है। पूर्व वाद में जरिये विड्रो खारिज करवाये जाने के पश्चात पुनः दावा नहीं ला सकते तथा आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। वादीगण द्वारा वर्तमान वाद धारा 11 सीपीसी के तहत विधि द्वारा बाधित होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।" नामा0 संख्या 68 दिनांक 12.8.1974 के कॉलम संख्या 5 में तुलछीराम पुत्र खूमाराम माली दर्ज है व नामा0 संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 के कॉलम संख्या 7 में तुलछियो बेटा खुमा रो जात से माली दर्ज है व तुलछाराम पुत्र खुमाराम के लाऔलाद फौत होने का विवरण भी नामान्तरकरण में दर्ज है। तुलछाराम पुत्र खुमाराम के लाऔलाद फौत होने की दशा में सुसंगत न्यायिक प्रावधानों व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

परिप्रेक्ष्य में ही नामान्तरकरण संख्या 761 दिनांक 6.7.2008 भरा जाना पाया गया है व उक्त इन्द्राजात भी आपसी सहमति से हुए बंटवाडा दिनांक 18.1.2011 का हिस्सा है। आपसी सहमति से दिनांक 18.1.2011 को बंटवाडा हो जाने के पश्चात वर्ष 2019 में नामा0 संख्या 761 दिनंक 6.7.2008 को चुनौती देना विधि विरूद्ध होने के साथ–साथ रेस्पोडेन्टस की मंशा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.5.2019 को खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर